

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड  
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001  
सूचना/विज्ञप्ति

सेवाकाल में दिवंगत पुलिस रेडियो विभाग के कर्मचारियों के आश्रितों की  
कर्मशाला कर्मचारी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा  
का आयोजन

संख्या:पीआरपीबी-एक-1(107)/2016(मृ0आ0) दिनांक: दिसम्बर 22, 2016

1- सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 2030/6-पु0-1-15-213/2015 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: 18/ए-1(124)-2013 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार कर्मशाला कर्मचारी वेतनमान-पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे-2000 के 01 पद हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित 01 पुरुष अभ्यर्थी को मृतक आश्रित के रूप में भर्ती किये जाने हेतु उनकी दक्षता मूल्यांकन परीक्षा 21 जनवरी, 2017 को 35वीं, वाहिनी, पी0ए0सी0, लखनऊ में आयोजित की जायेगी।

2- दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट [http:// uppbpb.gov.in](http://uppbpb.gov.in) पर दिनांक 05-01-2017 से उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त करेंगे।

3- दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के अन्तर्गत सभी पुरुष/महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता के मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015 के क्रम में शासनादेश संख्या-1569/6-पु0-10-2016- 1200(68)/ 2016 दिनांक 24-10-2016 के द्वारा कर्मशाला कर्मचारी के पद पर मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप उनसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 30 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 19 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। संगत नियमावली की परिशिष्ट-1 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी तथा जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा

नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे।

यदि दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में कर्मशाला कर्मचारी के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल 01 रिक्तियों की संख्या के कम या बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनायी जायेगी। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

4- इस श्रेष्ठता सूची में से श्रेष्ठता के कम के अनुसार कर्मशाला कर्मचारी के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती किये जाने वाले पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची बनायी जायेगी। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जायेगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी जो इनकी नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। प्रेषित की गयी यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

22/12/16  
अपर सचिव (प्रोन्नति)  
उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।